राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 4855 / 2003 / टोंक

1. रामप्रताप पुत्र भूरा
2. गोपाल पुत्र भूरा
3. बदरी पुत्र सुखदेव
4. बरदा पुत्र नारायण
5. ग्यारसा पुत्र बालूराम (मृतक) जरिये का.मु.

5 / 1. भोली बेवा स्व. ग्यारसा
5 / 2. रामलाल पुत्र स्व. ग्यारसा
5 / 3. बाबूलाल पुत्र स्व. ग्यारसा

6. पांचूराम पुत्र बालूराम
7. गंगाराम पुत्र बालूराम (मृतक) जरिये का.मु.

7 / 1. रामनिवास पुत्र स्व. गंगाराम
7 / 2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. गंगाराम

समस्त जाति बैरवा निवासीयान चिकाना तहसील निवाई जिला टोंक

....अपीलांट्स

बनाम

1. भगवानदास पुत्र मूलकराज जाति अरोडा लोहिया तहसील निकोदर जिला जालन्धर हाल मुकाम चिकाना जरिये मु.आम दलपतसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत निवासी चिकाना तहसील निवाई
2. लादू पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी चिकाना तह. निवाई जिला टोंक
3. तहसीलदार निवाई जिला टोंक
4. जगदीश पुत्र रामकल्याण
5. हजारी पुत्र रामकल्याण
6. गणेशराम पुत्र रामकल्याण
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकल्याण

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक : 02.01.2019**

द्वारा–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील प्रतिवादीगण / अपीलांट्स द्वारा धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 357/93 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–4–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. मीमों ऑफ अपील में दर्ज तथ्यों के अनुसार वादी/रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने एक वाद बाबत विभाजन व स्थाई व्यादेश सहायक कलक्टर, टोंक के न्यायालय में दिनांक 21–9–1974 को प्रस्तुत किया था। उस समय अपीलांट संख्या 2/प्रतिवादी गोपाल नाबालिग था। उसकी तरफ से वादी के आवेदन पर श्री शांति प्रकाश मूंदडा वकील को अदालती वली नियुक्त किया गया था। वाद के विचारण के दौरान रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी लादू व रेस्पोडेन्ट/वादी के मुख्त्यारआम ने एक राजीनामा पेश किया, जिसे न्यायालय ने दिनांक 28–6–1978 को तस्दीक कर दिया एवं बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश दिया। किन्तु वास्तव में कोई डिक्री पारित नहीं की गई। उस राजीनामा में बाकी अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर भी नहीं करावाए गए। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने राजीनामा के अनुसरण में बंटवारा करने की आज्ञा तहसीलदार, निवाई को जारी कर दी। इसके बाद दिनांक 29–8–1978 को रेस्पोडेन्ट/वादी ने एक दरख्वास्त विचारण न्यायालय में पेश की कि वह दलपतसिंह को अपने मुख्त्यारआम से हटाता है, जिस पर न्यायालय ने उसी रोज यह आदेश दिया कि मुख्त्यारआम दलपतसिंह को इस वाद में पैरवी का अधिकार नहीं रहेगा। इसके बाद दिनांक 18–2–1981 को वादी का वाद अदम हाजरी में खारिज हो गया। दिनांक 18–3–1981 को वादी के उसी मुख्त्यार ने रेस्टोरेशन की दरख्वास्त पेश की। उसी रोज मुख्त्यार दलपतसिंह व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी लादू ने एक नया राजीनामा विचारण न्यायालय में पेश किया। उस पर भी अन्य प्रतिवादीगण व नाबालिग अपीलांट/प्रतिवादी गोपाल के अदालती वली के हस्ताक्षर नहीं थे। विचारण न्यायालय ने उस राजीनामा को तस्दीक करके उसी अनुसार विभाजन की डिक्री दिनांक 21–4–1981 को तहसीलदार, निवाई को भेज दी। दिनांक 6–8–1984 को अपीलांट/प्रतिवादी गोपाल ने विचारण न्यायालय में एक दरख्वास्त धारा 151 व 152 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर उक्त डिक्री व आदेश को खारिज करने का निवेदन किया किन्तु विचारण न्यायालय ने वादी की वह दरख्वास्त इस आधार पर खारिज कर दी कि तहसीलदार द्वारा डिक्री की पालना में दाखिल खारिज किया जा

चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष अपील पेश की, जिसे आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–4–2003 के द्वारा खारिज किया गया है। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दलतपसिंह मुख्त्यारआम को आदेश दिनांक 29–8–1978 के पश्चात किसी भी प्रकार का राजीनामा करने का या वाद को पुनः नम्बर पर लेने की कार्यवाही करने का इख्तियार नहीं था। विचारण न्यायालय ने वाद के किसी भी प्रक्रम पर न्यायिक प्रक्रिया की पालना नहीं की। बंटवारा के वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद ही अंतिम डिक्री जारी की जाती है किन्तु विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं की। जिस समय दोनों राजीनामों को तस्दीक किया गया, उस समय रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी लादू के अलावा किसी भी प्रतिवादी के राजीनामा पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए, यहां तक कि नाबालिग अपीलांट/प्रतिवादी गोपाल के अदालती वली के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। इसलिए राजीनामा के जरिए वाद का विधिक प्रक्रिया अनुसार निस्तारण नहीं किया गया। मात्र यह तथ्य कि तहसीलदार ने राजीनामा अनुसार अमल दरामद कर दिया है, अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की दरख्वास्त को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं था। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री हो जाने के कारण अपील पोषणीय होना नहीं माना है, जबकि राजस्व मामलों में राजीनामा हो जाने के बाद भी अपील की जा सकती है। ऐसे मामलों में धारा 96 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–4–2003 एवं विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 10–3–1989 अपास्त किए जावे तथा प्रकरण विधिनुकूल निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया जाए।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उनकी दलील है कि दिनांक 28–6–1978 को जब राजीनामा तस्दीक किया गया, उस समय दलपतसिंह के पक्ष में जारी किया हुआ मुख्त्यारनामा प्रभाव में था। इस राजीनामा की रोशनी में तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव भेजने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम डिक्री जारी की गई है। जब विचारण न्यायालय में पुनः राजीनामा पेश हुआ, उस पर आज तक वादी ने आपत्ति नहीं की है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–1989 तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–4–2003 विधि सम्मत है। अतः निवेदन किया गया है कि यह अपील भी खारिज की जाए।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. वादी/रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भगवानदास ने लादू आदि कुल 8 व्यक्तियों के खिलाफ विभाजन एवं स्थायी व्यादेश का वाद पेश किया था किन्तु दिनांक 26–7–1978 को जो राजीनामा पेश हुआ, वह वादी के मुख्त्यार तथा प्रतिवादीगण लादू, रामप्रताप व गोपाल की ओर से पेश हुआ था। उस राजीनामा पर शेष प्रतिवादीगण या उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसी तरह जब दूसरी बार दिनांक 18–3–1981 को दुरूस्ती राजीनामा पेश हुआ, उस समय भी वादी का मुख्त्यार एवं प्रतिवादी लादू असालतन उपस्थित थे तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। किन्तु इन दोनों बार प्रतिवादी/अपीलांट गोपाल स्वीकृत रूप से नाबालिग था तथा उसके न्यायालय वली के उस राजीनामा पर हस्ताक्षर नहीं है। नाबालिग की ओर से राजीनामा करने बाबत न्यायालय की अनुमति भी नहीं ली गई। इस प्रकार इस प्रकरण में आदेश 32 सी.पी.सी. के प्रावधानों की स्पष्ट उल्लंघना की गई है। इससे नाबालिग प्रतिवादी गोपाल के हित प्रतिकूलतः व सारतः प्रभावित हुए हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मुख्यतः इस आधार पर अपीलांट्स की दरख्वास्त व अपील को खारिज किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना हो चुकी है किन्तु हमारी विनम्र राय में विचारण न्यायालय की डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से उसकी पालना हो जाने मात्र से किसी नाबालिग को उसके हितों से वंचित

नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील काबिले स्वीकार है।

8. लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित आदेश/निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेकर उसका नये सिरे से विधि अनुसार एवं शीघ्र निस्तारण किया जाए।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य